न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :— 28 / 2018—19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा — 46)

सुड़ालेन धान — विक्रेता

सुशांती कोनगाड़ी — क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
17.07.18		

आदेश

आवेदक / आवेदिका सुड़ालेन धान पति उम्बलन धान ग्राम बाला, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने सुशांती कोनगाड़ी पति श्री सुशारन कोनगाड़ी ग्राम उड़ीकेल महुँवाटोली, थाना रनियाँ, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड में)
तोरपा	53	162	1236	0.07

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय / जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 1501585909 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 283(II) दिनांक 06.06.2018 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खरीदगी है। खतियानी रैयत का नाम सुखराम मुण्डा है। पंजी II के अनुसार सुड़ालेन धान पति उम्बलन धान के नाम भूमि का रकवा 0.07 एकड़ है। आवेदक के पास मौजा बाला थाना कर्रा खाता सं0 106 अन्तर्गत 2.52 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2015—2016 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 56000.00(छप्पन हजार)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 2.47 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

अंचल अधिकारी तोरपा के जाँच प्रतिवेदन अनुसार विक्रेता एवं क्रेता मुण्डा जाति के सदस्य है। बिक्रेता एवं क्रेता द्वारा दिये गये आवसीय प्रमाण पत्र में विक्रेता कर्रा थाना एवं क्रेता रनिया थाना के निवासी है जबकि बिक्री की जा रही भूमि तोरपा अंचल की है।

अतः विक्रेता, क्रेता एवं भूमि एक ही थाना के अंतर्गत नहीं होने के कारण वाद अस्वीकृत की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

3/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

3/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।